इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों के साथ संव्यवहार में अंतरंग ट्रेडिंग के प्रतिषेध के लिए आंतरिक आचार संहिता

(सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम 2015 के विनियम 9(1) के अनुसरण)

<u>अध्याय- I</u>

1. **प्राथमिक:**

इस अंतरंग ट्रेडिंग प्रतिषेध हेतु आंतरिक आचार संहिता का सृजन दिनांक 15 जनवरी 2015 को जारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियमय 2015 तथा दिनांक 31 दिसंबर 2018 और 21 जनवरी 2019 को जारी सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन अधिनियम), 2018 के अनुसरण में किया गया था। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन या कंपनी) की प्रतिभूतियों के साथ संव्यवहार में इंसाइडर ट्रेडिंग प्रतिषेध हेतु इस कोड को "आंतरिक आचार संचिता" कहा जाएगा और इनका सृजन इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि कंपनी की ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है और इसप्रकार वह सूचना इंसाइडर सूचना है, पर पहुंच या अधिकार, से कंपनी का कोई इंसाइडर लाभ प्राप्त न कर सके या किसी अन्य द्वारा लाभ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान न करे।

<u>अध्याय-II</u>

2 (**क**) **परिभाषा**:

2.1 **"अधिनियम"** से तात्पय भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 से है।

2.2 **"बोर्ड"** से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बोर्ड से है।

2.3 **"कोड"** से तात्पर्य कंपनी द्वारा समय-समय पर संशोधन सहित इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों के साथ संव्यवहार में इंसाइडर ट्रेडिंग के प्रतिषेध के लिए आंतरिक आचार संहिता से है।

2.4 **"कंपनी"** से तात्पर्य इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) से है।

2.5 **"अनुपालन अधिकारी"** से तात्पर्य इन प्रयोजनों के उद्देश्य से कंपनी के कंपनी सचिव से है। कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में, निदेशक मंडल विनियमों के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी के दायित्वों के निर्वाहन के लिए कंपनी के किसी अन्य योग्य कंपनी सचिव को प्राधिकृत कर सकता है।

2.6 **"संबंधित व्यक्ति"** से तात्पर्य है: -

(i) कोई व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के छह महीने पूर्व या उसके दौरान किसी भी क्षमता में कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संबंधित है, और इसमें शामिल हैं उसके अधिकारियों के साथ लगातार सम्प्रेषण या किसी भी संविदात्मक, विवादास्पद या रोजगार या कंपनी के निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी होने के कारण या अपने और कंपनी के बीच व्यावसायिक या व्यावसायिक संबंध सहित कोई भी स्थिति में, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की पहुंच प्रदान करता है, ऐसी पहुंच की अनुमति देने के लिए उचित रूप से अपेक्षित है।

(ii) पूर्वगामी की सामान्यता के साथ पक्षपात के बिना, निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को संलिप्त व्यक्ति माना जाएगा जबतक कि अन्यथा सिद्ध न हो:

i. खंड (i) में विनिर्दिष्ट संलिप्त व्यक्तियों; के साथ संबंधी; या धारक कंपनी या संबद्ध कंपनी या सहायक कंपनी के साथ निकट संबंध;
ii. अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट अनुसार मध्यस्थ या कर्मचारी या निदेशक; या
iii. कोई निवेश कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी या उनका कर्मचारी या निदेशक; या
iv. स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस या कॉर्पोरेशन का कर्मचारी; या
v. म्यूचुवल फंड के ट्रस्टी के बोर्ड सदस्य या म्युचुवल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य या उनका कर्मचारी ; या
vi. कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 2 (72) में परिभाषित अनुसार सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के निदेशक मंडल का सदस्य या कर्मचारी; या
vii. बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या प्राधिकृत स्व-विनियामक संगठन का अधिकारी या कर्मचारी; या
viii. कंपनी का बैंकर; या
ix. कोई कंसर्न, फर्म, ट्रस्ट हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी या व्यक्तियों का संघ, जिसमें कंपनी के निदेशक या उनके तत्काल संबंधी या कंपनी का बैंकर की दस प्रतिशत से अधिक की धारिता या हितधारिता है।
x. पेशेवर फर्म जैसे लेखापरीक्षक, लेखांकन फर्म, विधि फर्म, विश्लेषक, दिवाला पेशेवर निकाय, परामर्शदाता, बैंक आदि, जो सूचीबद्ध कंपनियों को सहयोग या सलाह प्रदान करते हैं।

2.7 **"नामित कर्मचारी"** में शामिल हैं:

i) ई-8 स्तर के कार्यपालक यथा मुख्य महाप्रबंधक तथा ऊपर के अधिकारी;

ii) नीचे उल्लिखित अधिकारी, जिन्हें कोड मे परिभाशित अनुसार अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना पर पहुंच उपलब्ध है:

क निगमित कार्यालय में कंपनी सचिवालय, निगमित वित्त एवं कर तथा आईटी विभाग, क्रियात्मक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सभी सचिवीय स्टाफ।

ख व्यवसाय विकास में ग्रेड ई-7 (महाप्रबंधक) एवं ऊपर के स्तर के कार्यपालक।

iii) महत्वपूर्ण सहायक कंपनी में निदेशक, सीईओ, सीएफओ तथा सीईओ से दो स्तर नीचे के कर्मचारी;

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन हेतु, शब्द "महत्वपूर्ण सहायक कंपनी" से तात्पर्य उस सहायक कंपनी से है, जिसकी आय या निवल परिसंपत्ति तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में सूचीबद्ध निकाय या इसकी सहायक कंपनियों की समेकित आय या निवल परिसंपत्ति के 10 प्रातिशत से अधिक है।

(iii) सहायक कंपनियों या संबद्ध कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों सहित कंपनी के ऐसे अन्य जिन्हें, निदेशक (वित्त) के अनुमोदन से समय-समय पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2.8 **"नामित व्यक्ति"** में शामिल हैं:

(i) प्रमोटर

(ii) सभी निदेशक

(iii) संलिप्त व्यक्ति

(iv) नामित कर्मचारी

2.9 **"सामान्यत उपलब्ध सूचना"** से तात्पय उस सूचना से है जो अपरिहार्य आधार पर जनसाधारण को उपलब्ध है।

नोट: यहां सामान्य रूप से उपलब्ध सूचना को परिभाषित करना आवश्यक है, ताकि यह निर्धारित करना और जानना सुगम हो जाए कि अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना क्या है। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना, को साधारणत् सामान्य रूप से उपलब्ध सूचना माना जाता है।

2.10 **"निकट संबंधी"** से तात्पय व्यक्ति के पति या पत्नी से है और इसमें मातापित, भाई-बहन तथा ऐसे व्यक्ति के बच्चे या पति-पत्नि के बच्चे शामिल हैं, जिनमें से कोई उस व्यक्ति पर वित्तीय रूप से आश्रिम है या प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करने के संबंध में उस व्यक्ति से परामर्श करते हैं।

2.11 **"इंसाइडर"** से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से जो:

(i) नामित व्यक्ति है;

(ii) अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना पर अधिकार या उस पर पहुंच रखने वाला;

(iii) "विधिक प्रयोजन" के अनुसरण में अप्रकाशित मूल्य पर अधिकार रखने वाला;

स्पष्टीकरण : इस प्रयोजन के लिए "विधिक प्रयोजन" में साझेदारों, कोलैबोरेटर, देनदारों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेंट बैंकरों, विधिक सलाहकारों, लेखापरीक्षकों, दिवाला पेशेवरों तथा अन्य सलाहकारों या परामर्शदाताओं के साथ इंसाइडर द्वारा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को साझा करना शामिल हैं, बशर्ते कि सूचना को इस प्रकार साझा किया जाना, इन विनियमों के प्रतिषेध को रोकने या गतिरोध उत्पन्न करने के लिए नहीं किया गया है।

2.12 कंपनी के संबंध में **"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक"** (केएमपी),से तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 (51) के अंतर्गत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से है।

2.13 '**महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध**' से तात्पर्य उस संबंध से है, जिसमें एक व्यक्ति किसी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता है, जैसे, भुगतान करने वाले ऐसे व्यक्ति की वार्षिक आय के कम से कम 25 प्रतिशत के समतुल्य, तत्काल पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान ऋण या उपहार के रूप में भुगतान किया गया हो, किन्तु इसमें ऐसे संबंध शामिल नहीं होंगे, जिनमें आर्म लैंथ संव्यवहारों के आधार पर भुगतान किया गया है।

2.14 **'विनियम'** से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तथा उसमें किसी प्रकार के संशोधन से है

2.15 **'रिपोर्टिंग अधिकारी'** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे अनुपालन अधिकारी रिपोर्ट करता है।

2.16 **"प्रतिभूति"** में समय-समय पर कंपनी द्वारा जारी निम्नलिखित प्रतिभूतियां शामिल हैं:

(i) शेयर, स्क्रिप्ट, बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या समान प्रकृति की अन्य विपणनयोग्य प्रतिभूतियां।

(ii) कंपनी के शेयरों के संबंध में फ्यूचर ऑप्शन, डेरिवेटिव या हाइब्राइड,

(ii) प्रतिभूतियों के रूप में मान्यताप्राप्त ऐसे कोई अन्य लिखत।

2.17 **"सर्कमवेंट"** से तात्पय तथा इसमें किन्हीं प्रतिभूतियों में अंशदान करना, बेचना, खरीदना, संव्यसवहार करना, या अंशदान करने, बेचने, खरीदने, संव्यवहार करने के लिए सहमति देना शामिल हैं, और यहां **"ट्रेड"** का अर्थ भी इसी संदर्भ में है।

2.18 **"ट्रेडिंग दिवस"** से तात्पर्य उस दिवस से है जिस दिन स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए खुला है।

2.19 **"अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना"** से तात्पय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की ऐसी सूचना से है, जो सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है और इसके सामान्य रूप से उपलब्ध होने पर प्रतिभूतियों के मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभावे पड़ने की संभावना है और इसमें सामान्य रूप से निम्नलिखित सूचना शामिल हैं, किन्तु यह इस तक ही सीमित नहीं:

i) वित्तीय परिणाम;

ii) लाभांश;

iii) पूंजी संरचना में परिवर्तन;

iv) व्यवसाय का विलिय, अविलय, अधिग्रहण, डीलिस्टिंग, डिस्पोजल, तथा विस्तार और ऐसे अन्य संव्यवहार;

v) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन;

(ख) व्याख्यान:

(i) इस कोड में प्रयुक्त सभी शब्द किन्तु जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है का अर्थ विनियम, अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत उन्हें प्रदान किए गए अर्थ के समान होगा।

(ii) एकवचन वाले शब्दों में बहुवचन तथा विलोमक्रम भी शामिल हैं।

(iii) एक लिंग के संदर्भ में सभी लिंग शामिल होंगे।

(iv) इसके साथ सूचकांक और इसमें शीर्षक इस कोर्ड की संरचना का प्रभावित नहीं करेंगे।

(v) यहां किसी अधिनियमन के संदर्भ में ऐसे पुन:अधिनियमित, संशोधित या विस्तारित के रूप में ऐसे अधिनियम का संदर्भ शामिल माना जाएगा।

(vi) शब्द "सहित" "शामिल" या समान अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला किसी अन्य शब्द द्वारा प्रस्तुत कोई वाक्य उदाहरण स्वरूप होगा और वह उन अर्थों तक ही सीमित नहीं रहेगा।

(vii) परिशिष्ट और फॉर्म इस कोड के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं।

<u>अध्याय- III</u>

3.0 इंसाइडरों द्‌वारा सम्प्रेषण और ट्रेडिंग पर प्रतिबंध

3.1 अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का सम्प्रेषण या प्रापण

1) कोई भी इनसाइडर अन्य इंसाइडर सहित किसी भी व्यक्ति को कंपनी या सूचीबद्‌ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्‌ध होने वाली प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का सम्प्रेषण, उपलब्ध या पहुंच प्रदान नहीं करेगा, केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां ऐसा सम्प्रेषण विधि प्रयोजन, दायित्वों के निष्पादन या विधि दायित्वों के निर्वाहन के लिए किया जा रहा हो।

2) कोई भी व्यक्ति किसी इंसाइडर से कंपनी से संबंधित या सूचीबद्‌ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्‌ध होने वाली प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रापण नहीं करेगा या इस सूचना के सम्प्रेषण का कारण नहीं बनेगा।

3.2 अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना पर अधिकारक्षेत्र होने पर ट्रेडिंग

1) समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के मद्‌देनजर, कोई भी इंसाइडर कंपनी की प्रतिभूतियों, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्‌ध हैं, सूचीबद्‌ध होने के लिए प्रस्तावित है, में ट्रेड नहीं, जब उसके पास कोई अप्रकाशित मूल्य संविदी सूचना उपलब्ध है।

<u>स्पष्टीकरण</u>: यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रतिभूतियां में ट्रेड किया है, जिसके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना उपलब्ध है, तो यह माना जाएगा कि उसकी ट्रेडिंग उसके पास उपलब्ध ऐसी सूचना के संज्ञान में और जागरूकता से प्रेरित होकर की गई है।

2) नामित व्यक्तियों के मामले में, यह सिद्‌ध करने का दायित्व उस व्यक्ति का ही होगा कि नामित व्यक्ति के पास अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना उपलब्ध नहीं थी।

3.3 <u>ट्रेडिंग योजनाएं</u>

3.3.1 इंसाइडर ट्रेडिंग योजना तैयार करने और इसे अनुमोदन तथा जन प्रकटन हेतु अनुपालन अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पात्र है**,** जिसके अनुसरण में**,** ऐसी योजना के अनुसार उसकी ओर से ट्रेड की जाएगा।

3.3.2 ऐसी ट्रेडिंग योजना में: -

(i) इसमें योजना के सार्वजनिक प्रकटन से छह माह पूर्व, इंसाइडर द्वारा आरंभ की गई ट्रेडिंग आरंभ करना शामिल नहीं है;

(ii) किसी वित्तीय अवधि, जिसके लिए प्रतिभूति के जारीकर्ता द्वारा परिणामों को घोषित किया जाना अपेक्षित है, के अंतिम दिन से पूर्व बीसवें ट्रेडिंग दिन तथा ऐसे वित्तीय परिणामों के घोषित होने के पश्चात दूसरे ट्रेडिंग दिन के बीच की अवधि में ट्रेडिंग शामिल नहीं है;

(iii) बारह महीने से कम की अवधि इसे ट्रेडिंग में शामिल नहीं है।

(iv) किसी अवधि का ओवरलैपिंग शामिल नहीं है, जिसके लिए दूसरी ट्रेडिंग योजना पहले से विद्यमान है।

(v) ऐसे ट्रेडों की प्रकृति तथा अंतराल या इनके प्रभावी होने की तिथि सहित प्रभावित होने वाली ट्रेडिंग का मूल्य तथा ट्रेड की गई प्रतिभूतियों की संख्या का निर्धारण; और

(v) बाजार दुरूपयोग के लिए प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग शामिल नहीं है।

(vi) ट्रेडिंग योजना विनियमों के अनुसार होगी और ट्रेडिंग योजना के लिए आवेदन फॉर्म-। पर उपलब्ध है।

3.3.3 अनुपालन अधिकारी यह आकलन करने के लिए ट्रेडिंग योजना की समीक्षा करेगा कि क्या इस योजना में इन विनियमों के उल्लंघन की कोई संभावना है और वह यथा आवश्यक ऐसे शपथ लेने के लिए पात्र होगा ताकि ऐसे आकलनों का संभव बनाया जा सके और इस योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृत और मॉनीटर किया जा सके।

बशर्ते कि स्वीकृत ट्रेडिंग योजना के अनुसार निष्पादित ट्रेड के लिए पूर्व-क्लियरेंस अपेक्षित नहीं है।

बशर्ते आगे कि ट्रेडिंग विंडो मानदंड तथा कौंट्रा ट्रेड पर प्रतिबंध स्वीकृत ट्रेडिंग योजना के अनुसार किए गए ट्रेडों पर लागू नहीं होगा।

3.3.4 एक बार स्वीकृत ट्रेडिंग योजना अपरिहार्य होगी और इंसाइडर, इससे डेविएट होने की पात्रता के बिना या ट्रेडिंग योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर प्रतिभूतियों में ट्रेड करने की पात्रता के बिना, अनिवार्य रूप से इसका क्रियान्वयन करेगा।

बशर्ते कि ट्रेडिंग योजना क्रियान्वित नहीं की जाएगी यदि, योजना क निर्माण के समय इंसाइडर के पास कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना उपलब्ध है, नामित व्यक्ति के पास यूपीएसआई है और उक्त सूचना सामान्य रूप से क्रियान्वयन आरंभ होने के समय उपलब्ध नहीं हुई है। ट्रेडिंग योजना के आरंभ होने की प्रक्रिया को ऐसे यूपीएसआई के सामान्य रूप से उपलब्ध होने तक आस्थिगित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नामित व्यक्ति को कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि, स्वीकृत ट्रेडिंग योजना के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करने की तिथि और अनुपालन अधिकारी द्वारा घोषित ट्रेडिंग विंडो के बंद होने की तिथि एक ही हो।

3.3.5 ट्रेडिंग योजना के स्वीकृत होने पर, अनुपालन अधिकारी स्टॉक एक्सचेंजों में इस योजना को अधिसूचित कराएगा, जिसके उपरांत प्रतिभूतियां सूचिबद्ध होंगी।

3.3.6 ट्रेडिंग योजना की स्वीकृति का सूचना पत्र **फॉर्म-।।** पर संलग्न है।

3.3.7 ऐसे इंसाइडर के लिए अपेक्षित है कि वह फॉर्म-।।। में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार ट्रेडिंग योजना के अंतर्गत, प्रत्येक संव्यवहार के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर ट्रेडिंग योजना के निष्पादन के संबंध में अनुपालन अधिकारी को सूचित करे।

3.3.8 अनुपालन अधिकारी इंसाइडरों द्वारा प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग योजना के रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा और स्टॉक को अधिसूचित करेगा जैसा कि **रजिस्टर-।** पर प्रस्तुत है।

3.4 ट्रेडिंग विंडो

3.4.1 खंड 3.4.2 में संदर्भित सूचना के सामान्य रूप से उपलब्ध होने के समय ट्रेडिंग विंडों बंद होनी चाहिए।

3.4.2 नीचे उल्लिखित अवधि के दौरान, जब ट्रेडिंग विंडों बंद रहेंगी, इरकॉन के नामित व्यक्ति अपने स्वयं के नाम पर या अपने निकट संबंधियों के नाम पर इरकॉन की प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से संबंधित कोई संव्यवहार नहीं करेंगे:

क्र.सं.	घटना/विवरण	प्रतिबंधित अवधि	
		से	तक
1.	तिहाही तथा अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा	अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित अनुसार बोर्ड बैठक से कम से कम सात दिन पूर्व	
2.	आंतरिक लाभांश तथा आंतरिक लाभांश की घोषणा	अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित अनुसार बोर्ड बैठक से कम से कम पांच दिन पूर्व	
3.	वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और अंतिम लाभांशों की घोषण	अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित अनुसार बोर्ड बैठक से कम से कम पांच दिन पूर्व	
4.	कोई अन्य प्रमुख घटना	निदेशक मंडल/समिति/सक्षम प्राधिकारी को संगत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।	

3.4.3 ट्रेडिंग विंडो "अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना" के सामान्य रूप से उपलब्ध होने के पश्चात 48 घंटों में खोली जाएगी।

3.4.4 उपर्युक्त पैरा 3.4.2 के अंतर्गत उल्लिखित दिनों के अतिरिक्त वर्ष के शेष दिन **"**वैध ट्रेडिंग विंडो**"** कहलाएंगे।

3.4.5 सभी नामित व्यक्ति खंड 3.4.4 में ऊपर उल्लिखित "वैध ट्रेडिंग विंड" अवधि में ही कंपनी की प्रतिभूतियों में अपना संव्यवहार करेंगे और पूर्व संव्यवहार के पश्चात अगले छह महीनें के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में "कौंट्रा ट्रेड" यथा विपरीत या प्रतिक्रम संव्यवहार नहीं करेंगे। अनुपालन अधिकारी लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों हेतु ऐसे प्रतिबंधों के कड़े अनुपालन के लिए रियायत प्रदान करने हेतु शक्तिप्रदत्त हैं, बशर्ते ऐसी रियायत इन विनियमों का उल्लंघन न हों। यदि ऐसे प्रतिबंधों के उल्लंघन में जानबूझकर या अन्यथा कौंट्रा ट्रेड किया जाता है तो, ऐसे ट्रेड से लाभों को अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा संचाचित निवेशक संरक्षण एंव शिक्षा निधि में क्रेडिट करने के लिए बोर्ड को प्रेषित किया जाएगा।

3.4.6 अनुपालन अधिकारी **"**बंद ट्रेडिंग विंडों**"** की अवधि के लिए रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा**,** जिसमें वह ट्रेडिंग विंडों बंद होने तथा आरंभ होने और ट्रेडिंग विंडो बंद किए जाने के

कराण का रिकार्ड रखेगा। ट्रेडिंग विंडों के समापन की अवधि के रजिस्टर का प्रारूप **रजिस्टर-।।** पर प्रस्तुत है।

3.5 ट्रेडिंग के लिए पूर्व-क्लियरेंस

3.5.1 नामित व्यक्ति, जो एकल संव्यवहार में ट्रेड किए जाने वाले 1000 इक्विटी शेयरों या एक माह के भीतर संव्यवहारों की श्रृंखला में ट्रेड किए जाने वाले 5000 इक्विटी शेयरों की न्यूनतम थ्रेशहोल्ड सीमा से ऊपर कंपनी की प्रतिभूतियों मे ट्रेड करना चाहता है, उसे यहां नीचे वर्णित पूर्व-संव्यवहार प्रक्रियाओं के अनुसार संव्यवहार की पूर्व-क्लियरेंस प्राप्त करनी होगी।

3.5.2 **फार्म-IV** में पूर्व-क्लियरेंस के लिए आवेदन केवल वैध ट्रेडिंग अवधि के दौरान ही किया जाएगा।

3.5.3 कोई भी नामित व्यक्ति किसी प्रस्तावित ट्रेड की पूर्व-क्लियरेंस के लिए आवेदन नहीं करेगा, यदि ऐसे नामित व्यक्ति के पास अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना उपलब्ध है, चाहे ट्रेडिंग विंडो बंद ही क्यों न हो।

3.5.4 नामित व्यक्ति इस आशय की शपथ के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुपालन अधिकारी को पूर्व-क्लियरेंस आवेदन करेगा कि इंसाइडर ने इस कोड के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

3.5.5 पूर्व-क्लियरेंस का सूचना पत्र **फार्म-।।** पर उपलब्ध है।

3.5.6 पूर्व-क्लियरेंस आवेदन प्राप्त होने के तत्काल पश्चात, उसके प्राप्त होने की तिथि और समय को रिकार्ड किया जाएगा। अनुपालन अधिकारी पूर्व-क्लियरेंस आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और यदि पूर्व-क्लियरेंस आवेदन इस कोड के अनुरूप और इसके प्रावधानों के अनुपालन में होगा तो अनुपालन अधिकारी तत्काल किन्तु इस आवंदन के प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर इसकी सूचना देने का प्रयास करेगा। अनुपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में, अनुपालन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पूर्व-क्लियरेंस प्रदान करेगा।

3.5.7 अनुपालन अधिकारी नामित अधिकारी द्वारा प्रतिभूतियों की पूर्व-क्लियरेंस के रजिस्टर का अनुरक्षण **रजिस्टर-।।।** में करेगा।

3.5.8 नामित व्यक्ति, पूर्व-क्लियरेंस के पश्चात सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर ट्रेड को निष्पादित करेगा। पूर्व-क्लियरेंस प्रदान करने के सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर ट्रेड नहीं किया जाता है तो, नामित व्यक्ति को नए सिरे से पूर्व-क्लियरेंस प्राप्त करनी होगी। ऐसे नामित

व्यक्ति को **फार्म-III** में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर पूर्व-स्वीकृत संव्यवहारों के निष्पादन/गैर-निष्पादन के संबंध में अनुपालन अधिकारी को सूचित करना अपेक्षित है।

अध्याय- IV

4.0 इंसाइडर द्वारा ट्रेडिंग का प्रकटन

4.1 आरंभिक प्रकटन:

(क) कंपनी का प्रत्येक प्रमोटर, प्रमोटर समूह का सदस्य, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा निदेशक को इस कोर्ड के प्रभावी होने की तिथि को कंपनी की प्रतिभूतियों की उनकी धारिता का प्रकटन **फार्म-क** में तीस दिनों के भीतर करना होगा।

(ख) कंपनी में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या निदेशक के रूप में नियुक्ति के समय या प्रमोटर बनने के समय प्रत्येक व्यक्ति और नियुक्ति की तिथि या प्रमोटर बनने की तिथि को ऐसा कोई व्यक्ति जिसके लिए ऐसा व्यक्ति ट्रडिंग निणर्य लेता है, तो वह फार्म-बी में नियुक्ति या प्रमोटर बनने से सात दिनों के भीतर कंपनी को प्रतिभूति की धारिता का प्रकटन करेगा।

4.2 निरंतर प्रकटन:

कंपनी का प्रत्येक प्रमोटर, प्रमोटर समूह का सदस्य, नामित कर्मचारी तथा निदेशक, कंपनी को ऐसे संव्यवहारों के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर ऐसी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण या निपटान की संख्या के संबंध में प्रकटन करेगा, यदि ट्रेड की गई प्रतिभूतियों का मूल्य, चाहे एक ट्रांसेक्शन में हो या किसी कलैंडर तिमाही में ट्रांसेक्शनों की श्रृंखला में हो, **दस लाख रूपए** से अधिक या **फार्म-ग** में समय-समय पर अनुपालन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य मूल्य से अधिक के समग्र ट्रेड मूल्य में हो।

इंसाइडरों के बीच ऑफ-मार्किट परस्पर अंतरण द्वारा प्रतिभूतियों के संव्यवहार के मामले में, जिनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना उपलब्ध है और उन्होंने विनियम 3.3 का उल्लंघन नहीं किया है तथा दोनों ही पक्षों ने सचेत एवं सुविज्ञ निर्णय लिए हैं तो, ऐसे ऑफ-मार्किट ट्रेड, की सूचना इंसाइडरों द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर अनुपालन अधिकारी को दी जाएगी।

अनुपालन अधिकारी प्रकटन के प्राप्त होने या ऐसी सूचना की जानकारी प्राप्त होने के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर उस स्टॉक एक्सचेंजों को ऐसी ट्रेडिंग के विवरणों की सूचना देगा, जहां ये प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

4.3 वार्षिक आधार पर सूचना में परिवर्तन :

प्रमोटर, निदेशक तथा नामित कर्मचारी अपना कार्यभार ग्रहण करने पर तथा तत्पश्चात वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर वार्षिक आधार पर फार्म-ड. में शपत देंगे ताकि अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के संबंध में गोपनीयता बनाई रखी जा सके जो उनके पास उपलब्ध है या भविष्य में उपलब्ध होगी।

प्रमोटर, निदेशक तथा नामित कर्मचारी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जब की सूचना में परिवर्तन हो, वार्षिक आधार पर कंपनी को निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में उनकी शेयरधारिता, नाम तथा पेन या विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पहचानपत्र सहित फार्म-ड. में प्रकटन करेगा:

क) निकट संबंधी;

ख) ऐसे व्यक्ति जिनके साथ नामित व्यक्ति के महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध हैं;

ग) उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे फोन, मोबाईल तथा सेल फोन।

इसके अतिरिक्त, उन शैक्षिक संस्थानों के नाम, जहां से नामित व्यक्ति ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और उनके पूर्व नियेक्ताओं का नाम भी एक-मुश्त आधार पर प्रकट किया जाएगा।

4.4 अन्य संलिप्त व्यक्तियों द्वारा प्रकटन: अन्य संलिप्त व्यक्ति या संलिप्त व्यक्तियों की श्रेणी को में कंपनी की प्रतिभूतियों की धारिता और ट्रेडिंग के संबंध में फार्म-घ प्रकटन करना अपेक्षित है और यह प्रकटन ऐसे अंतराल पर किया जाएगा तथा समय-समय पर निदेशक (वित्त) के अनुमोदन से अनुपालन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

अध्याय- V

5.0 विविध:

5.1 अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

(i) नीतियों, प्रक्रियाओं का अनुपालन, रिकार्डों का अनुरक्षण, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रतिषेध के लिए नियमों के अनुपालन की मॉनीटरिंग, ट्रेडों की मॉनीटरिंग और कंपनी के निदेशकों के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन कोडों का क्रियान्वयन।

(ii) नामित कर्मचारियों और सभी निदेशकों द्वारा संव्यवहारों और किसी ट्रेड योजना, ट्रेड की पूर्व क्लियरेंस, ट्रेडिंग विंडो आदि के अनुमोदन के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंत में निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(iii) पांच वर्ष की अवधि के लिए इस कोड के अंतर्गत प्रकटनों के रिकार्डों का अनुरक्षण।

5.2 मध्यवर्तियों के लिए आचार संहिता:

प्रत्येक मध्यवर्ती क संगठन के निदेशक मंडल या प्रमुख (प्रमुखों) द्वारा अपने स्वयं की प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग से संबंधित विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम मानकों को स्वीकार करने के लिए उनके नामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित, मॉनीटर तथा रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता का सृजन किया जाएगा।

5.3 आचार संचिता के उल्लंघन हेतु दंड

यदि कोई निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या नामित कर्मचारी इस कोड के उल्लंघन में कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेड करता है या किस अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को संप्रेषित करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा और कंपनी के आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमों (सीडीए) के अंतर्गत परिभाषित अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

5.4 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की शक्ति

कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई, समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनिमय, 2015 के उल्लंघन के मामले में सेबी या अन्य प्राधिकारियों को कोई कार्रवाई किए जाने से प्रतिबंधित नहीं करती है। यदि सेबी विनिमय या कोई अन्य विनियामक प्रावधान कोड में समाविष्ट प्रावधानों से अधिक कड़े हैं, तो सेबी विनियम/सांविधिक प्रावधान लागू रहेंगे।

5.5 स्पष्टीकरण:

इस कोड के संबंध में सभी प्रश्नों के लिए, कर्मचारी कृपया अनुपालन अधिकारी से सम्पर्क करें।

<u>खंडन</u>

यह नति केवल आंतरिक आचार संहिता है और अंतरग व्यापार से बचने का एक उपाय है। प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को सेबी विनियमों से स्वयं को अवगत करना होगा क्योंकि यह प्रत्येक संलिप्त व्यक्ति (और उसके संबंधियों) का उत्तरदायित्व है कि वे इस कोड, सेबी विनियम और अन्य संबंधित सांविधियों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

--------------------- X -------------------

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित प्रकटन के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं की संहिता

{**सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम**, 2015 **के विनियम 8(1) के अनुसरण में**}

---

1. प्रकटनों की निगरानी और समन्वय:

वित्त विभाग में कार्यपालक निदेशक और कार्यपालक निदेशक की अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक निदेशक, निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति, मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी होगा। वह इन विनियामों की अपेक्षा के अनुसार अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध के लिए निगमित उचित प्रकटन पद्धतियों को इस कोड के अनुसरण में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के समय पर तथा उपयुक्त रूप से किया जाएगा। अनुपालन अधिकारी प्रकटन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी भी होगा/होगी।

निदेशक (वित्त) की स्वीकृति से मुख्य निवेश सम्पर्क अधिकारी स्टॉक एक्सचेंजों, विश्लेषकों, शेयरधारकों को अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटन की निगरानी और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। वह स्टॉक एक्सचेजों पर प्रदर्शित सूचना के अनुरूप मीडिया के लिए जारी सूचना की संवीक्षा के लिए उत्तरदायी भी होगा/हागी।

प्रकटित/प्रसारित सूचना को अग्रिम में निदेशक (वित्ती) द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

यदि, अंजाने में स्वीकृति पूर्व सूचना प्रकट की जाती है तो, इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तत्काल इसकी सूचना मुख्य निवेश सम्पर्क अधिकारी को देगा, चाहे वह सूचना मूल्य संवेदी ही क्यों ना मानी जाए।

मुख्य निवेश सम्पर्क अधिकारी एक्सचेंजों द्वारा बाजार अफवाहों के सत्यापन हेतु किसी प्रश्न या अनुरोध का प्रतिउत्तर देगा।

मुख्य निवेश सम्पर्क अधिकारी निदेशक (वित्त) और/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ परामर्श करके, यदि आवश्यक समझा जाए, सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता के अनुसार, यह निर्णय लेने के लिए भी उत्तरदायी होगा कि अफवाओं का सत्यापन या खंडन किया जाए और तत्पश्चात उपयुक्त प्रकटन किए जाएं।

2. **शेयरधारिता/स्वामित्व तथा स्वामित्व में परिवर्तन की समय पर रिपोर्टिंग**:

अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निर्मित स्टॉक एक्सचेंज सूचीकरण करारों तथा/या किसी अन्य नियम/विनियमों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रमुख शेयरधारकों की शेयरधारिता/स्वामित्व के प्रकटन तथा स्वामित्व में परिवर्तनों का प्रकटन समय पर तथा उपयुक्त रूप में किया जाए। अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

4. **विश्लेषकों संस्थागत निवेशकों को विशेष संदर्भ के साथ अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन/प्रचार:**

निदेशकों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर, विश्लेषकों/अनुसंधान व्यक्तियों तथा संस्थागत निवेशकों को कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में कोई सूचना प्रकट नहीं करेगा। अप्रकाशित मूल्य सूचकांक सूचना की व्यवस्था के लिए निदेशक मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी को शामिल करेगा।

कंपनी के नामित कर्मचारियों और निदेशकों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारी विश्लेषकों तथा संस्थागत निवेशकों के साथ संव्यवहार करते समय नीचे प्रस्तुत दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे:

<u>गैर-सार्वजनिक सूचना को साझा करना:</u>

निदेशक(वित्त) द्वारा प्राधिकृत निदेशक/अन्य अधिकारी विश्लेषकों/अनुसंधान व्यक्तियों/बड़े निवेशकों जैसे संस्थानों को केवल सार्वजनिक सूचना ही उपलब्ध कराई जाएगी। यदि गैर सार्वजनिक सूचना उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है तो, सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति अग्रिम में मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी के साथ परामर्श करेगा। ऐसे मामलों में मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी, यह सुनिश्चित करेगा कि विश्लेषकों/अनुसंधान व्यक्तियों/निवेशकों को उपलबध कराई जाने वाली सूचना को मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी को सूचित करते हुए साथ ही साथ यथाशीघ्र सार्वजनिक किया जाएगा।

<u>अप्रत्याशित प्रश्नों की व्यवस्था:</u>

मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी अप्रत्याशित प्रश्नों के उत्तर सार्वधानीपूर्वक देगा। अप्रत्याशित प्रश्नों को नोट किया जाएगा और उसका उत्तर बाद में निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के साथ परामर्श करने के पश्चात दिया जाएगा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है तो, मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी इसकी सूचना निदेशक (वित्त) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को देगा और प्रेस के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों/सार्वजनिक घोषणा के लिए इसके प्रसार हेतु आवश्यक

स्वीकृति प्राप्त करेगा। उपर्युक्त अनुसार मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को प्रस्तुत करने के पश्चात ऐसे अप्रत्याशित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे।

निदेशक/कर्मचारी विश्लेषकों के ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय अत्यधिक ध्यान तथा सावधानी रखेगा, जो प्रश्न चर्चा के कार्यक्षेत्र के बाहर के है।

चर्चा की रिकार्डिंग :

सभी विशेषक/ब्रोकर या संस्थागत निवेशकों की बैठकों में कंपनी के मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ कर्मचारी शामिल होंगे, जैसा भी निदेशक (वित्त) के अनुमोदन से मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए। तिमाही कॉन-कॉलों के दौरान सभी चर्चाओं को रिकार्ड किया जाएगा और उनकी ट्रांस्क्रिप्शनों को वेबसाइट में "निवेशक" पृष्ठ में शामिल किया जाएगा।

सूचना को साथ-साथ जारी करना:

जबकभी मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी निवेश विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों के साथ बैठक के आयोजन का प्रस्ताव करते हैं तो कंपनी प्रत्येक ऐसी बैठक के पश्चात प्रेस विज्ञप्ति या बैठक पूर्व संगत सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी। मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी निदेशक (वित्त) तथा/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की स्वीकृति से कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाने वाली सूचना के पाठ की विधीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

5. इंसाइडर ट्रेडिंग के प्रतिषेध के लिए संस्थागत तंत्र :

मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी इंसाइडर ट्रेडिंग के प्रतिषेध के लिए इन विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों की उपयुक्त और कुशल प्रणाली स्थापित करेगा:

6. अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकट (लीक) होने की रिपोर्ट के लिए व्हीसल ब्लोवर तंत्र :

यदि किसी कर्मचारी को अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के लीक होने का संदेह है तो, वह तत्काल व्हीसल ब्लोव (सूचित) करेगा और कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के समक्ष वह घटना प्रस्तुत करेगा या ई-9 ग्रेड के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों के आपवादिक मामलों में ईमेल या सीलबंद लिफाफे में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सूचित करेगा।

7. प्रकटन/प्रसार का माध्यम:

निदेशक (वित्त) तथा/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी उन स्टॉक एक्सचेंजों को निरंतर और समयबद्ध रूप से सभी अप्रकाशित मूल्य

संवेदी सूचना का प्रसार करेगा, जहां ये प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और तत्पचात प्रेस को इसकी सूचना देगा।

एक अच्छी निगमित पद्धति के रूप में, स्टॉक एक्सचेंजों और प्रेस को प्रकट अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी द्वारा तत्काल कंपनी की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। कंपनी अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के सार्वजनिक प्रकटन के लिए अन्य माध्यमों पर भी विचार कर सकती है ताकि इन पर निवेशकों की पहुंच में सुधार किया जा सके।

मुख्य निवेश सम्पर्क अधिकारी प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति साथ ही साथ जन सम्पर्क सूमूह को भी प्रेषित करेगा ताकि उसे कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org. पर अपलोड किया जा सके।

स्टॉक एक्सचेंज सूचीकरण करारों के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों को उपलबध कराई गई सूचना भी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी।

****

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

नई दिल्ली

फॉर्म-I

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग योजना हेतु आवेदन

सेवा में,
अनुपालन अधिकारी,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
सी-4 डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली-110017

प्रिय महोदय,

सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 , यथा संशोधित तथा कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार में अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध के लिए आंतरिक आचार संहिता और प्रक्रियाओं तथा निगमित प्रकटन पद्धति के अनुसरण में, मैं नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (ब्यौरा प्रस्तुत करें) की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग योजना की स्वीकृति का अनुरोध करता हूं:

नाम, पदनाम तथा कर्मचारी सं. पेन नं.

विभाग: ईमेल आईडी: ID:

कार्यभार ग्रहण/इंसाडर बनने की तिथि केएमपी: हां/नहीं

क्र.सं.	धारित प्रतिभूतियां (आवेदन की तिथि को निकट संबंधियों की प्रतिभूतियों सहित)	फोलियों सं/डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	नए संव्यवहारों की प्रकृति जिसके लिए स्वीकृति वांछित है	प्रतिभूतियों की संभावित संख्या जिसमें संव्यवहार करना है
1	2	3	4	5

संव्यवहार का मूल्य	क्या प्रस्तावित संव्यवहार स्वयं के नाम पर है या निकट संबंधी के नाम पर	यदि संव्यवहार निकट संबंधी के नाम पर है तो, निकट संबंधी का नाम	ट्रेड की संभावित तिथि/आवंटन की तिथि	क्रय/आवंटिन की पिछली स्वीकृति संख्या एवं तिथि
6	7	8	9	10

शपथ

इस संबंध में, मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं कि :

(क) मुझे इस शपथ पर हस्ताक्षर के समय तक किसी "अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना" पर पहुंच प्राप्त नहीं है/ मैने ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं की है।

(ख) ट्रेडिंग योजना के एक बार स्वीकृत होने के पश्चात वह योजना अपरिहार्य होगी और मैं इस योजना से परिवर्तित होने या ट्रेडिंग योजना के कार्यक्षेत्र के बाहर प्रतिभूतियों में किसी प्रकार के ट्रेड के लिए पात्र हुए बिना अनिवार्य रूप से इस योजना को क्रियान्वित करूंगा।

(ग) ट्रेडिंग योजना कि क्रियान्वयन आरंभ नहीं किया जाएगा, यदि योजना के निर्माण के समय मेरे कब्जे में कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना उपलब्ध होगी, जो क्रियान्वयन आरंभ करने के समय सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

(घ) मैंने अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु आचार संहिता और समय-समय पर कंपनी द्वारा अधिसूचित प्रकटन पद्धितियों हेत आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

(ड.) मैं कोड के खंड 3.4.3 का अनुपालन करूंगा।

(च) मुझे ज्ञात है कि मैं कंपनी के कोड के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई सहित कोर्ड में निर्धारित अनुसार दंड प्राप्त करने के लिए दायी हूं, यदि किसी भी समय उपर्युक्त घोषणा भ्रामक या असत्य पाई जाती है।

(छ) मैं एतदद्वारा इस विषय पर पूर्ण एवं सत्य प्रकटन कर रहा हूं।

कृपया इरकॉन की प्रतिभूतियों में संव्यवहार करने के लिए अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु आंतरिक आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार पूर्व-क्लियरेंस प्रदान की जाए।

दिनांक…..

स्थान…..

हस्ताक्षर:………………………………………

नाम एवं पदनाम:……………………………………

कार्यालय प्रयोग हेतु

प्राप्त आवेदन की क्रम संख्या:

आवेदन प्राप्ति की तिथि एवं समय:

पूर्व क्लियरेंस या अन्यथा की सूचना की तिथि और समय:

पूर्व क्लियरेंस प्रदान न किए जाने का कारण:

अनुपालन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर:

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
<u>नई दिल्ली</u>

<u>फॉर्म-II</u>

पूर्व-क्लियरेंस/ट्रेडिंग योजना के लिए सूचना पत्र

नाम……......................
कर्मचारी सं.…...........…
पदनाम……….............

संदर्भ : आवेदन सं................

प्रिय महोदय,

कृपया इस आवेदन में वर्णित अनुसार प्रतिभूतियों में संव्यवहार करने के लिए स्वीकृति हेतु आपके उपर्युक्त आवेदन के संदर्भ में, कृपया आपको सूचित किया जाता है कि आपके ट्रेडिंग योजना/पूर्व-क्लियरेंस की स्वीकृति हेतु आपके उक्त आवेदन में वर्णित अनुसार संव्यवहार (संव्यवहारों) को निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया /प्राधिकृत नहीं किया जाता है।

यह स्वीकृति आपक उक्त आवेदन में आपके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न घोषणाओं, अभ्यावेदनों और वारंटियों के आधार पर जारी की जा रही है।

कृपया नोट करें कि इरकॉन इटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में संव्यवहार करने के लिए अंतरंग व्यापार प्रतिषेध के लिए आंतरिक आचार संहिता और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की यूपीएसआई की उचित प्रकटन हेतु पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की संहिता की शर्तों के अनुसार, पूर्व-स्वीकृति के मामले में ऊपर उल्लिखित ट्रांसेक्शन को पूर्व-क्लियरेंस प्रदान किए जाने की तिथि से सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। यदि ट्रेडिंग योजना को स्वीकृति प्रदान की जाती है तो यह अपरिहार्य होगी और आपके इससे परिवर्तित हुए बिना या ट्रेडिंग योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर प्रतिभूतियों में कोई ट्रेड निष्पादित किए बिना, अनिवार्य रूप से इस योजना को क्रियान्वित करना होगा।

इसके अतिरिक्त, आपको संव्यवहार/सौदे की तिथि से दो (2) ट्रेडिंग दिनों के भीतर संलग्न प्रारूप में ट्रांसेक्शनों को निष्पादित करने का ब्यौरा फाइल करना होगा।

कृपया यह भी नोट करें कि इरकॉन की यूपीएसआई को उचित प्रकटन हेतु पद्धतियों और प्रक्रियाओं की संहिता सहित संव्यवहारों में अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध के लिए आंतरिक आचार संहिता की शर्तों के अनुसार, प्रतिभूति को कोड के खंड 3.4.3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम धारण अवधि के लिए धारित रखा जाएगा।

पूर्व-क्लियरेंस के मामले में, उपर्युक्त स्वीकृति स्वत: ही समाप्त हो जाएगी, यदि तत्पश्चात अनुमोदित अवधि में शामिल ट्रेडिंग विंडो को बंद घोषित किया जाता है।

कृते एवं के निमित्त
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
अनुपालन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

<u>नई दिल्ली</u>

<u>फॉर्म-III</u>

पूर्व-स्वीकृति/ट्रेडिंग योजना संव्यवहारों के प्रकटन के लिए फॉमेट

(कंपनी की प्रतिभूतियों के संव्यवहार/लेनदेन से दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा)

दिनांक: _____

सेवा में,
अनुपालन अधिकारी,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
सी-4 डिसट्रक्टि सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली-110017

प्रिय महोदय**,**

विषय: पूर्व-स्वीकृति/ट्रेडिंग योजना संव्यवहारों का ब्यौरा
संदर्भ: **दिनांक........... का आपका अनुमोदन पत्र सं.....................**

मैं एतदद्वारा सूचित करता हूं कि मैने

- किसी प्रतिभूति में ट्रेड नहीं किया है, (केवल पूर्व क्लियरेंस के मामले में)
- मैने दिनांक..........(तिथि डालें) को नीचे उल्लखित........प्रतिभूतियों (विवरण दें) में ट्रेड किया है:

धारक का नाम	प्रथम या संयुक्त धारक	संव्यवहारित प्रतिभूतियां की संख्या	खरीदे/बेचे/अंशदायी	भौतिक संव्यवहार हेतु डीपी आईडी/ग्राहक आईडी या फालियो सं. जहां प्रतिभूति को नामे या जमा किया गया	मूल्य (रुपए में)

**"एफ" प्रथम धारक "जे" संयुक्त धारक

उपर्युक्त संव्यवहार (संव्यवहारों) के संबंध में, मैं एतदद्वारा तन वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित रखने और निम्नलिखित में से किंी दस्तावेज को अनुपालन अधिकारी/सेबी के समक्ष प्रस्तुत करने की शपथ लेता हूं :

1. ब्रोकर का संविदा नोट।
2. बैंकरों को/से भुगतान का साक्ष्य।
3. बैंक पासपुक/विवरण का सार (डीमेट संव्यवहारों के मामले में प्रस्तुत किया जाएगा)।
4. पुसुर्दगी लिखत पर्ची की प्रति (बिक्री संव्यवहार के मामले में लागू)।

मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण सही है और उपर्युक्त संव्यवहार (संव्यवहारों) को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभूतियों में संव्यवहार करने के लिए अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु कंपनी की आंतरिक आचार संहिता तथा/या लागू कानूनों/विनियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

मैं इस कोड के खंड 3.4.3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार निर्धारित न्यूनतम धारण अवधि के लिए उपर्युक्त प्रतिभूतियों को धारित रखने के लिए सहमत हूं।

भवदीय,

हस्ताक्षर: ______________________

नाम: ____________________

कर्मचारी सं.: _________________

विभाग/प्रभाग.

 जो लागू नहीं है उसे काट दें।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

<u>नई दिल्ली</u>

<u>फॉर्म</u>-IV

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेड करने के लिए पूर्व-क्लियरेंस के लिए आवेदन

सेवा में,
अनुपालन अधिकारी,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
सी-4 डिसट्रक्टि सेंटर,
साकेत,
नई दिल्ली-110017

प्रिय महोदय,

<u>यूपीएसआई</u>

सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, यथा संशोधित और प्रतिभूतियों में संव्यवहार करने के लिए अंतरंग व्यापार प्रतिषेध के लिए कंपनी की आंतरिक आचार संहिता और यूपीएसआई के उचित प्रकटन हेतु पद्धतियों और प्रक्रियाओ की संचित के अनुसरण में, मैं नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (ब्यौरा दें) की प्रतिभूतियों में ट्रेड करने के लिए स्वीकृति का अनुरोध करता हूं:

नाम, पदनाम एवं कर्मचारी सं.	पेन सं.	
विभाग	ईमेल आईडी:	
कार्यभार ग्रहण करने /नामित व्यक्ति बनने की तिथि	केएमपी:	हां/नहीं

क्र.सं.	प्रतिभूतियां की संख्या (आवेदन की तिथि को निकट संबंधियों की प्रतिभूतियां सहित)	फोलियो सं/डीपी आईडी तथा ग्राहक आईडी	संव्यवहारों की प्रकृति जिसके लिए स्वीकृति चाहिए	संव्यवहार किए जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या
1	2	3	4	5

अनुमानित मूल्य	क्या प्रस्तावित संव्यवहार स्वयं के नाम पर या निकट संबंधी के नाम पर है	निकट संबंधी का नाम, यदि संव्यवहार निकट संबंधी द्वारा किया गया है	ट्रेड की प्रस्तावित तिथि/आवंटन की तिथि	क्रय/आंवटन के लिए पूर्व स्वीकृति की संख्या एवं तिथि
6	7	8	9	10

<u>शपथ</u>

इस संबंध में मैं सत्यनिष्ठा के साथ पुष्टि तथा घोषणा करता हूं कि:

(क) इस शपथ पर हस्ताक्षर करते समय मेरे कब्जे में तथा/या मुझे कोई "अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना" प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) यदि इस शपथ पर हस्ताक्षर करने के पश्चात तथा संव्यवहार के निष्पादन से पूर्व मुझे कोई "अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना" प्राप्त होती है तो, मैं अपनी स्थिति में किसी परिवर्तन की सूचना अनुपालन अधिकारी को दूंगा और कि ऐसी सूचना के सार्वजनिक होने तक प्रतिभूतियों में संव्यवहार नहीं करूंगा।

(ग) मैंने समय समय पर कंपनी द्वारा अधिसूचित अनुसार निगमित प्रकटन पद्धितियों के कोड तथा अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु आचार संहिता का उल्लंधन नपहीं किया है।

(घ) मैने कोड के खंड 3.4.3 का अनुपालन किया है।

(ड.) मैने संव्यवहार के निष्पादन से दो दिन के भीतर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने/संव्यवहार न किए जाने पर शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शपथ ली है।

(च) मुझे ज्ञात है कि मैं कंपनी के कोड के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई सहित कोर्ड में निर्धारित अनुसार दंड प्राप्त करने के लिए दायी हूं, यदि किसी भी समय उपर्युक्त घोषणा भ्रामक या असत्य पाई जाती है।

(छ) मैं एतदद्वारा इस विषय पर पूर्ण एवं सत्य प्रकटन कर रहा हूं।

कृपया इरकॉन के आंतरिक आचार संहिता के प्रावधानों, प्रतिभूतियों में संव्यवहार करने के लिए अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु प्रक्रियाओं तथा निगमित प्रकटन पद्धतियों की संहिता के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार पूर्व-क्लियरेंस प्रदान की जाए।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर:......................................

नाम एवं पदनाम:...

<u>कार्यालय प्रयोग हेतु</u>

प्राप्त आवेदन का क्रम संख्या:

आवेदन प्राप्ति की तिथि एवं समय:

पूर्व क्लियरेंस या अन्यथा की सूचना की तिथि और समय:

पूर्व क्लियरेंस प्रदान न किए जाने का कारण:

अनुपालन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर:

फार्म क

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015
(आरंभिक प्रकटन)

कंपनी का नाम: ________________________________

कंपनी का आईएसआईएन: ________________________________

प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी), निदेशक तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों का ब्यौरा

नाम, पेन नं. सीआईएन/डीआईएन तथा पता व संपर्क नं.	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/ केएमपी/ निदेशक/निकट संबंध/अन्य आदि)	इस कोड के लागू होने की तिथि को धारित प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का प्रतिशत	इस कोड के लागू होने की तिथि को धारित फ्यूचर कॉंट्रेक्ट मे मुक्त हित		इस कोड के लागू होने की तिथि को धारित ऑप्शन कॉंट्रेक्ट मे मुक्त हित	
		प्रतिभूति का प्रकार (यथा - शेयर, वारंट, परिवर्ती डिबेंचर आदि)	नहीं		इकाइयों के नाम (कांट्रैक्ट *लौट का आकार)	रुपए की दृष्टि से अनुमानित मूल्य	इकाइयों के नाम (कांट्रैक्ट *लौक का आकार)	रुपए की दृष्टि से अनुमानित मूल्य
1	2	3	4	5	6		7	

नोट: **"**प्रतिभूतियों**"** का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम**,** 2015 के विनियम 2(1)(**i**) के अंतर्गत परिभाषित अनुसार होगा।

हस्ताक्षर:...

पदनाम:..

दिनांक:...

स्थान:...

फार्म ख

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015
(विनियम 6(2) के साथ पठित विनियम 7(1)(ख)

कंपनी का नाम: ________________________________

कंपनी का आईएसआईएन: ________________________________

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर बनने पर या विनियम 6 (2) में उल्लिखित अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित प्रतिभूतियों का ब्यौरा

नाम, पेन नं. सीआईएन/डीआईएन तथा पता व संपर्क नं.	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/ केएमपी/ निदेशक/निकट संबंध/अन्य आदि)	इस कोड के लागू होने की तिथि को धारित प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का प्रतिशत	इस कोड के लागू होने की तिथि को धारित फ्यूचर कॉंट्रेक्ट मे मुक्त हित		इस कोड के लागू होने की तिथि को धारित ऑप्शन कॉंट्रेक्ट मे मुक्त हित	
		प्रतिभूति का प्रकार (यथा - शेयर, वारंट, परिवर्ती डिबेंचर आदि)	नहीं		इकाइयों के नाम (कांट्रैक्ट *लौट का आकार)	रुपए की दृष्टि से अनुमानित मूल्य	इकाइयों के नाम (कांट्रैक्ट *लौक का आकार)	रुपए की दृष्टि से अनुमानित मूल्य
1	2	3	4	5	6		7	

नोट: **"**प्रतिभूतियों**"** का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम**,** 2015 के विनियम 2(1)(**i**) के अंतर्गत परिभाषित अनुसार होगा।

हस्ताक्षर:...

पदनाम:...

दिनांक:...

स्थान:...

<u>फॉर्म ग</u>

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015
[विनियम 9 (2) के साथ पठित विनियम 7(2)]

कंपनी का नाम : ______________________________

कंपनी का आईएसआईएन:________________________

विनियम 6(2) में उल्लिखित अनुसार सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर, कर्मचारी या निदेशक की प्रतिभूतियों की धारिता में परिवर्तन का ब्यौरा

नाम, पेन नं, सीआईएन/डीआईएन व संबद्ध व्यक्ति का पता संपर्क नं; जिसे कंपनी द्वारा चिह्नित किया गया	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर /केएमपी /निदेशक /निकट संबंधी/ अन्य, आदि)	अधिग्रहण/निपटान से पूर्व धारित प्रतिभूतियां		अधिग्रहित/निपटाई गई प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का प्रतिशत		आवेटन आदेश/ शेयरों के अधिग्रहण/शेयरों की बिक्री की तिथि, स्पष्ट करें		कंपनी को सूचित करने की तिथि	अधिग्रहण का माध्यम (बाजार खरीद/पब्लिक /राइट/ प्रेफरेंशियन ऑफर/ ऑफ मार्किट/ आपसी अंतरण, आदि)	डेरिवेटिव में ट्रेड (कान्ट्रैक्ट, फ्यूचर या ऑप्शन आदि विनिर्दिष्ट करें)				एक्सचेंज जहां ट्रेड निष्पादित की गई
												खरीद		बिक्री		
		प्रतिभूतियों का प्रकार (यथा शेयर, वारंट, परिवर्ती डिबेंचर, आदि)	संख्या	प्रतिभूतियों का प्रकार (यथा शेयर, वारंट, परिवर्ती डिबेंचर, आदि)	संख्या	पूर्व संव्यवहार	पश्चात संव्यवहार	से	तक			मूल्य	इकाइयों की संख्या (कांट्रैक्ट *लौट साइस)	मूल्य	इकाइयों की संख्या (कांट्रैक्ट *लौट साइस)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

नोट: **"**प्रतिभूतियां **"** का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनिमय**, 2015** में परिभाषित अनुसार होगा।

हस्ताक्षर:..

पदनाम:..

दिनांक:..

स्थान:..

<u>फॉर्म घ</u>

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015
विनियम 7(3) - कंपनी द्वारा चिह्नित अनुसार अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा संव्यवहार

नाम, पेन नं, सीआईएन/डीआईएन व संबद्ध व्यक्ति का पता संपर्क नं; जिसे कंपनी द्वारा चिह्नित किया गया	कंपनी के साथ संबंधित	अधिग्रहण/निपटान से पूर्व धारित प्रतिभूतियां		अधिग्रहित/निपटाई गई प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का प्रतिशत		आवेटन आदेश/ शेयरों के अधिग्रहण/शेयरों की बिक्री की तिथि, स्पष्ट करें		कंपनी को सूचित करने की तिथि	अधिग्रहण का माध्यम (बाजार खरीद/पब्लिक /राइट/ प्रेफरेंशियन ऑफर/ ऑफ मार्किट/ आपसी अंतरण, आदि)	डेरिवेटिव में ट्रेड (कान्ट्रैक्ट, फ्यूचर या ऑप्शन आदि विनिर्दिष्ट करें)				एक्सचेंज जहां ट्रेड निष्पादित की गई
												खरीद		बिक्री		
		प्रतिभूतियों का प्रकार (यथा शेयर, वारंट, परिवर्ती डिबेंचर, आदि)	संख्या	प्रतिभूतियों का प्रकार (यथा शेयर, वारंट, परिवर्ती डिबेंचर, आदि)	संख्या	पूर्व संव्यवहार	पश्चात संव्यवहार	से	तक			मूल्य	इकाइयों की संख्या (कांट्रैक्ट *लौट साइस)	मूल्य	इकाइयों की संख्या (कांट्रैक्ट *लौट साइस)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

नोट: **"**प्रतिभूतियां **"** का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनिमय**,** 2015 में परिभाषित अनुसार होगा।

हस्ताक्षर:..

पदनाम:..

दिनांक:..

स्थान:..

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015

अनुसूची ख के साथ पठित विनियम 9 (क) - वार्षिक प्रकटन

<u>फॉर्म ड.</u>

कंपनी का नाम: ____________________________________

कंपनी का आईएसआईएन: ___________________________

<u>प्राप्त या भविष्य में प्राप्त होने वाली अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए वार्षिक प्रकटन</u>

1. निदेशक/नामित कर्मचारी का नाम:
2. पेन नं.
3. इरकॉन में धारित शेयरों की संख्या:
4. शैक्षिक संस्थानों के नाम:

    (क)

    (ख)

    (ग)

5. पूर्व नियोक्ता का नाम:

    (क)

    (ख)

    (ग)

निकट संबंधियों तथा व्यक्तियों का ब्यौरा जिनके साथ महत्वपूर्ण वित्तीय संबंधों को साझा किया जाता है:

विवरण	**नाम**	**पैन/ कोई अन्य पहचान पत्र साक्ष्य सं.**	**फोन नं.**	**मोबाइल नं.**
पति/पत्नि				
पिता				
माता				
पुत्र				
बेटी				

बहन				
भाई				

शपथ

मैं, ______________________________ , एतदद्वारा पुष्टि करता हूं कि :

क) मैं अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के संबंध में गोपनीयता बनाए रखूंगा और इस सूचना के अप्राधिकृत प्रकटन से बचूंगा।

ख) मैं इन विनियमों का अनुपालन करूंगा, तथा

ग) ऊपर उल्लिखित सूचना में किसी प्रकार के परिवर्तन के मामले में, इसकी सूचना अनुपालन अधिकारी को दूंगा।

हस्ताक्षर : ____________________

नाम : ____________________

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

नई दिल्ली

रजिस्टर-I

प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग योजना की स्वीकृति एवं स्टॉक एक्सचेंजों को इस संबंध में अधिसूचित करने का रजिस्टर

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग	ट्रेडिंग योजना आवेदन को प्राप्त करने की तिथि एवं समय	संव्यवहारों की प्रकृति	आवेदन में प्रस्तुत प्रतिभूतियों की संभावित संख्या
1	2	3	4	5	6	7

आवेदन में प्रस्तुत अनुमानित प्रतिफल मूल्य	निकट संबंधी का नाम यदि संव्यवहार निकट संबंधी के नाम से है	अनुपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृति की सूचना की तिथि	स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण	वास्तव में ट्रेड की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या	स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचित करने की तिथि	टिप्पणियां
8	9	10	11	12	13	15

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

नई दिल्ली

रजिस्टर-II

ट्रेडिंग विंडों के समापन की अवधि संबंधी रजिस्टर

क्र.सं.	ट्रेडिंग विंडों के समापन की सूचना की तिथि, यदि कोई हो	ट्रेडिंग विंडों के समापन की आरंभिक तिथि	ट्रेडिंग विंडो के खुलने की तिथि	प्रयोजन जिसके लिए ट्रेडिंग विंडों बंद हुई है	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
.					
.	.		.	.	.

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

नई दिल्ली

रजिस्टर-।।।

प्रतिभूतियां में ट्रेड करने के लिए पूर्व-क्लियरेंस संबंधी रजिस्टर

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग	पूर्व-क्लियरेंस आवेदन को प्राप्त करने की तिथि एवं समय	संव्यवहारों की प्रकृति (क्रय या विक्रय)	आवेदन में प्रस्तुत प्रतिभूतियों की संभावित संख्या
1	2	3	4	5	6	7

आवेदन में प्रस्तुत अनुमानित प्रतिफल मूल्य	निकट संबंधी का नाम यदि संव्यवहार निकट संबंधी के नाम से है	अनुपालन अधिकारी द्वारा किलयरेंस की सूचना की तिथि	क्लियरेंस प्रदान न किए जाने के कारण यदि क्लियर नहीं किया गया	समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि	स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचित करने की तिथि	टिप्पणियां
8	9	10	11	12	13	15